राजस्थान – सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राज0 जोधपुर

तकनीकी संस्थानों (पॉलिटेक्निक) मे अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत् दिशा–निर्देश

ब्रांच स्थानान्तरण

(क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानातरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होंगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं ब्रांच के स्थानान्तरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उर्त्तीण किये हों। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही संभव होगे –

(1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा गया है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होंगे।

(2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण संभव होंगे।

(ड़) **पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन इंजिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।**

एक संस्था से दूसरी संस्था में उसी शाखा में स्थानान्तरण

(क) एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण द्वितीय वर्ष अथवा तीसरे वर्ष /(पंचम टर्म) के प्रारम्भ में ही संभव होंगे। किसी भी सत्र के मध्य में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

(ख) निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का अन्य किसी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण संभव नहीं होगा, परन्तु विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य पोषित ब्रांचों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सभव होगा।

(ग) सहशिक्षा / महिला पॉलिटेक्निक में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण निम्नांकित वरीयता क्रम में किये जावेंगे :

(1) छात्राऐं (हॉस्टल सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में)
(2) विकलांग
(3) विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत छात्र
(4) अन्य अभ्यर्थी

(घ) संस्था स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही संभव होंगे :

(1) जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच में स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें विद्यार्थियों की संख्या, प्रथम वर्ष में स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी एवं

(2) जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें स्थानान्तरण के पूर्व एवं स्थानान्तरण के उपरान्त विद्यार्थियों की संख्या प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होगी।

(ड़) एक पॉलिटेक्निक से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण के आदेश निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा किये जायेंगे।

(च) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक छात्र, छात्राऐं निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि तक संबंधित पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।